



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/E/20/00366

दिनांक: 15 October, 2020

Shri Raghav Kumar,
A-208, Bharat Vihar, Raja Puri, Uttam Nagar,
New Delhi, Pin: 110059

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 21 September, 2020 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।


उपरोक्त पत्र में बांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.एन.डे. भौमिक,
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी विकास) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571790,2863616

धन्यवाद,

भवदीय,


(जसबीर सिंह) 15/10/2020

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

विषय: आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के तहत श्री राघव कुमार द्वारा मांगी गई जानकारी ।

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें ।

1. पावरग्रिड में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (उत्तरी क्षेत्र 1, 2 व 3, पश्चिमी क्षेत्र 1 व 2, पूर्वी क्षेत्र 1 व 2, दक्षिणी क्षेत्र 1 व 2 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाले उन सभी उपकेन्द्रों के आवासीय परिसर में बिजली की खपत के लिये कर्मचारियों से की गई वसूली का विवरण प्रत्येक उपकेन्द्र के अनुसार प्रदान करने की कृपा करें, जो कि उपकेन्द्रों की परिधि के अंतर्गत आते हैं ।
2. पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2017-18, 2018-19 तथा 2019-20) में पावरग्रिड में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (उत्तरी क्षेत्र 1, 2 व 3, पश्चिमी क्षेत्र 1 व 2, पूर्वी क्षेत्र 1 व 2, दक्षिणी क्षेत्र 1 व 2 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाले उन सभी उपकेन्द्रों के आवासीय परिसर में बिजली की खपत के लिये कर्मचारियों द्वारा वहन की गई बिजली रियायत (इलेक्ट्रीसिटी पर्स) का विवरण प्रत्येक उपकेन्द्र के अनुसार प्रदान करने की कृपा करें, जो कि उपकेन्द्रों की परिधि के अंतर्गत आते हैं ।
3. पावरग्रिड में कर्मचारियों से बिजली खपत की वसूली के लिए प्रयोग किये जाने वाले मानदण्डों का विवरण प्रदान करने की कृपा करें ।
4. पावरग्रिड में उपकेन्द्रों की परिधि में उपस्थित आवासीय परिसरों में बिजली की खपत (मुख्यतः एयर कंडीशनर लगाने की संख्या सीमा तथा एयर कंडीशनर के उपयोग की अवधि) की वसूली के लिए प्रयोग किये जाने वाले मानदण्डों का विवरण प्रदान करने की कृपा करें ।

POWERGRID Reply:

POWERGRID has pan-India presence with more than 300 establishments, due to which the data as desired are very voluminous & require considerable resources/manpower for compilation which will hamper day to day activity of POWERGRID and it would disproportionately divert the resources of the public authority. Therefore, in line with section 7 (9) of the RTI act, aforesaid information is not provided.

However, if any information regarding specific creditor for any specific period is sought, the same can be provided.

जवाब का हिंदी में अनुवाद:

पावरग्रिड के पूरे भारतवर्ष में लगभग 300 संस्थान हैं । जैसा कि आवेदक द्वारा प्रत्येक संस्थान की तीन वित्तीय वर्ष की बिजली की खपत का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, यह बहुत बड़ा विवरण है तथा इसे एकत्रित करने में पावरग्रिड को काफी समय लगेगा । अतः आर.टी.आई. अधिनियम के सेक्सन 7 (9) के अंतर्गत मांगी गई जानकारी नहीं दी जा रही है ।

यदपि, यदि किसी निश्चित स्थान की निश्चित जानकारी मांगी जाये तो जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है ।

-----x-----

